RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 15
अंक : 357
दि. 30.04.2026, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश: कानून बनाना अदालत का नहीं, विधायिका का काम

नई दिल्ली। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े मामलों पर एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट रुख सामने रखा है। अदालत ने दो टूक कहा है कि किसी भी अपराध को परिभाषित करना और उसके लिए सजा तय करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि न्यायपालिका के। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह इस विषय पर नए दिशा-निर्देश जारी नहीं करेगी, क्योंकि मौजूदा कानून पहले से ही पर्याप्त हैं और किसी प्रकार के विधायी खालीपन का कोई आधार नहीं है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में हेट स्पीच को लेकर लगातार बहस हो रही है और कई याचिकाओं के माध्यम से अदालत से अपेक्षा की जा रही थी कि वह इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करे। हालांकि, अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के तहत शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के तहत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना है, न कि नए कानून बनाना या अपराधों की नई परिभाषा तय करना।

यह टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के दौरान की। पीठ ने अपने निर्णय में दोहराया कि अदालतें केवल मौजूदा कानूनों की व्याख्या कर सकती हैं और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे सकती हैं, लेकिन वे विधायिका को नया कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकतीं। यह अधिकार पूरी तरह संसद और राज्य विधानसभाओं के पास सुरक्षित है।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान कानूनी ढांचा हेट स्पीच जैसे मामलों से निपटने में

सक्षम है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के साथ-साथ नए कानूनों में भी इस तरह के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए यह कहना कि इस क्षेत्र में कोई विधायी खालीपन है, पूरी तरह गलत और निराधार है। अदालत का मानना है कि समस्या कानून के अभाव की नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है।

इस संदर्भ में अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसके खिलाफ कानूनी उपाय उपलब्ध हैं और संबंधित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून पहले से मौजूद हैं, जरूरत केवल उन्हें सही तरीके से लागू करने की है।

अपने फैसले में अदालत ने केंद्र सरकार को भी एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि यदि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नए कानून या नीतिगत बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है, तो इस पर विचार करना विधायिका और सरकार का दायित्व है। इस संदर्भ में अदालत ने लॉ कमीशन की 2017 की 267वीं रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें हेट स्पीच को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। अदालत ने संकेत दिया कि यदि आवश्यक हो, तो इन सुझावों के आधार पर भविष्य में कानून में संशोधन किया जा सकता है।

यह फैसला केवल एक कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों की पुनः पुष्टि भी है। भारत का संविधान शक्तियों के स्पष्ट विभाजन पर आधारित है, जिसमें तीनों अंग—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—अपने-अपने दायरे में रहकर कार्य करते हैं। अदालत ने अपने फैसले में इसी संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यदि न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानून बनाने लगे, तो यह संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा।

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दुरुपयोग के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। हेट स्पीच एक संवेदनशील विषय है, जो सीधे तौर पर समाज की शांति और सद्भावना को प्रभावित करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि कानून बनाने की प्रक्रिया संवैधानिक ढांचे के भीतर ही हो।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप तभी उचित होता है, जब कानून में स्पष्ट कमी या अस्पष्टता हो। लेकिन जब कानून पहले से मौजूद हैं और उनका दायरा पर्याप्त है, तो न्यायिक सक्रियता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यह दृष्टिकोण न्यायपालिका की संयमित भूमिका को दर्शाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। एक ओर यह सरकार और विधायिका को यह संकेत देता है कि यदि वे चाहें, तो इस विषय पर नए कानून बना सकते हैं या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यह प्रशासनिक तंत्र को यह संदेश देता है कि मौजूदा कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और हेट स्पीच जैसे मामलों में लापरवाही न बरती जाए।

साथ ही, यह निर्णय आम नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उनके अधिकारों और कानूनी उपायों के बारे में जागरूक करता है। यदि कोई व्यक्ति हेट स्पीच का शिकार होता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह न केवल संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन बना रहे और हर संस्था अपनी जिम्मेदारी को समझे। हेट स्पीच जैसे गंभीर मुद्दे पर यह स्पष्ट संदेश देता है कि समाधान केवल नए कानून बनाने में नहीं, बल्कि मौजूदा कानूनों के प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन में भी निहित है।

इस प्रकार, अदालत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती संस्थाओं के संतुलन में ही निहित है, और जब हर संस्था अपने दायरे में रहकर काम करती है, तभी न्याय और व्यवस्था दोनों कायम रह सकते हैं।

ईवीएम विवाद पर सख्त रुख: छेड़छाड़ साबित हुई तो दोबारा मतदान से नहीं हिचकेगा आयोग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान और सियासी सरगर्मी के बीच ईवीएम को लेकर उठे सवालों ने चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। इसी बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ की पुष्टि होती है, तो वहां पुनर्मतदान कराने से आयोग पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मतदान केंद्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि अंतिम चरण के मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर उसके चुनाव चिह्न के साथ छेड़छाड़ की गई। भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कुछ वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 144 और 189 पर पार्टी के चिन्ह को सफेद टेप से ढक दिया गया था। इस आरोप के आधार पर उन्होंने संबंधित केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग उठाई है।

इन आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता

को लेकर बहस को तेज कर दिया है। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने इस पूरे मामले पर संतुलित और कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि किसी भी निर्णय से पहले सभी शिकायतों की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों के आधार पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। यदि जांच में यह साबित होता है कि वास्तव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है या मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, तो संबंधित मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।

मनोज अग्रवाल ने यह भी संकेत दिया कि यदि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आती हैं और जांच में उनकी पुष्टि होती है, तो केवल कुछ बूथों तक ही सीमित न रहकर पूरे क्षेत्र में पुनर्मतदान कराया जा सकता है। यह बयान इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी स्थिति में चुनाव की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाएगा।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। हालांकि, चुनाव आयोग बार-बार यह स्पष्ट करता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और छेड़छाड़ से मुक्त होती हैं, फिर भी समय-समय पर इस तरह के आरोप सामने आते रहते हैं। ऐसे में आयोग के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह हर शिकायत की निष्पक्ष जांच करे और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के विवाद चुनावी माहौल का हिस्सा बन चुके हैं, जहां हर दल अपनी-अपनी रणनीति के तहत आरोप-प्रत्यारोप करता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इन आरोपों की सच्चाई सामने आए और यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसे तुरंत सुधार लिया जाए। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

इस बीच आम मतदाताओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि उनका वोट सुरक्षित है और यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं। चुनाव आयोग का यह रुख यह दर्शाता है कि वह न केवल तकनीकी रूप से तैयार है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है।

पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड मतदान के साथ-साथ इस तरह के विवादों का उभरना यह भी दिखाता है कि चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह विश्वास और पारदर्शिता का भी प्रश्न है। आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इस विश्वास को बनाए रखे और हर मतदाता को यह भरोसा दिलाए कि उसका वोट सही तरीके से गिना जाएगा।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच के बाद आयोग क्या फैसला लेता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो पुनर्मतदान का निर्णय एक मजबूत संदेश देगा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, यदि आरोप गलत साबित होते हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि ईवीएम और चुनावी व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है।

ट्रांसफॉर्मर घोटाले में बड़ा झटका: हाईकोर्ट के आदेश से पूर्व मंत्री की बढ़ीं मुश्किलें

चेन्नई। तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 397 करोड़ रुपये के कथित ट्रांसफॉर्मर घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यह मामला सीधे उस अवधि से जुड़ा है जब वे ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

अदालत के इस आदेश को एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जिसने राज्य में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। आरोप है कि वर्ष 2021 से 2023 के बीच ट्रांसफॉर्मर खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, जिससे सरकारी खजाने को करीब 397 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने को जरूरी माना।

मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को राज्य एजेंसियों के बजाय केंद्रीय एजेंसी को सौंपना उचित होगा। अदालत ने डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन को निर्देश दिया है कि वह इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज,

साक्ष्य और रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप दे, ताकि जांच बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। पीठ ने यह भी कहा कि सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच टीम गठित करनी होगी और तत्परता के साथ जांच शुरू करनी होगी। अदालत ने राज्य सरकार को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दे और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन पैदा न होने दे। इस आदेश से यह संकेत मिलता है कि न्यायपालिका इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और चाहती है कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह मामला आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। सेंथिल बालाजी पहले से ही विभिन्न आरोपों को लेकर चर्चा में रहे हैं, और अब इस नए घटनाक्रम ने उनके खिलाफ जांच की दिशा को और तेज कर दिया है। हालांकि, अभी तक यह आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा, लेकिन सीबीआई जैसी एजेंसी की एंट्री ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही किस हद तक सुनिश्चित की जा रही है। ट्रांसफॉर्मर जैसे जरूरी उपकरणों की खरीद में यदि इस स्तर की अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, तो यह न केवल वित्तीय नुकसान का मामला है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है।

अदालत के इस आदेश को उन लोगों के लिए भी एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जो सार्वजनिक पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप सामने आते हैं, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी।

अब सभी की नजरें सीबीआई की जांच पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में किसी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। यदि जांच में आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला कानूनी कार्रवाई के अगले चरण में पहुंच सकता है, वहीं यदि आरोप निराधार साबित होते हैं, तो संबंधित पक्षों को राहत मिल सकती है।

कुल मिलाकर, मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल एक विशेष मामले से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। यह आने वाले समय में अन्य मामलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की जाती है।

1 मई से बदलेंगे रोजमर्रा के नियम: गैस डिलीवरी से लेकर बैंकिंग और ऑनलाइन गेमिंग तक नए प्रावधान लागू

नई दिल्ली। देशभर में एक मई से कई ऐसे नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। रसोई गैस की डिलीवरी से लेकर बैंकिंग लेन-देन, ऑनलाइन गेमिंग और केवाईसी प्रक्रिया तक, विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से ये बदलाव किए गए हैं। सरकार और नियामक संस्थाओं का मानना है कि इन नए नियमों से न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आर्थिक व्यवस्था में भी अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

सबसे बड़ा बदलाव रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। अब बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर की डिलीवरी संभव नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर पहुंचेगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को साझा किए बिना डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य उन मामलों पर रोक लगाना है, जहां सिलेंडर किसी और के नाम पर बुक होकर गलत पते पर पहुंच जाते थे या बीच में ही डायवर्ट कर दिए जाते थे। यदि किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट नहीं है, तो डिलीवरी कर्मी अपने ऐप के जरिए उसे तुरंत अपडेट कर सकेगा, जिसके बाद ओटीपी जनरेट होगा। इस नई प्रणाली से गैस वितरण में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।

इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत अब देश में ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां पूरी तरह नियमन के दायरे में आ जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन के साथ ही 'ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम-2025' के नियम एक मई से प्रभावी होंगे। इस कानून के तहत गेमिंग कंपनियों को कुछ राहत भी दी गई है। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब किसी गेम के प्रमाणीकरण की वैधता अवधि पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इससे कंपनियों को बार-बार रजिस्ट्रेशन या प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे उद्योग को स्थिरता मिलने की संभावना है। साथ ही, यह कदम उपयोगकर्ताओं के लिए भी अधिक सुरक्षित और नियंत्रित गेमिंग वातावरण सुनिश्चित करेगा।

वित्तीय लेन-देन के क्षेत्र में भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का नकद जमा या निकासी करता है, तो उसके लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत पूरे वर्ष के कुल लेन-देन को एक साथ जोड़ा जाएगा और उसी आधार पर निगरानी की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन पर नियंत्रण करना और वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बड़े नकद लेन-देन पर निगरानी बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बड़े स्तर पर नकद लेन-देन करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के बीच एटीएम से यूपीआई के जरिए निकासी को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अब एटीएम से बिना कार्ड के यूपीआई के जरिए पैसे निकालने पर यह लेन-देन भी आपकी मासिक निशुल्क सीमा में शामिल होगा। यानी, यदि आप अपनी तय फ्री लिमिट से अधिक बार निकासी करते हैं, तो इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17 से 21 तक का शुल्क देना पड़ सकता है। इससे खासतौर पर छोटे और बार-बार होने वाले लेन-देन करने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। हालांकि, यह कदम डिजिटल लेन-देन को व्यवस्थित और संतुलित रखने के लिए उठाया गया है।

इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में ई-केवाईसी को लेकर भी सख्ती बढ़ाई गई है। अब सभी बैंक ग्राहकों के लिए अपनी ई-केवाईसी जानकारी अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी खाते की केवाईसी अधूरी पाई जाती है, तो उस खाते से लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी बैंक शाखा या ऑनलाइन माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इन सभी बदलावों को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार और नियामक संस्थाएं देश में डिजिटल और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं। गैस डिलीवरी में ओटीपी की अनिवार्यता जहां उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करेगी, वहीं ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया नियामक ढांचा इस तेजी से बढ़ते उद्योग को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। नकद लेन-देन पर पैन की अनिवार्यता और ई-केवाईसी अपडेट जैसे कदम वित्तीय अनुशासन को मजबूत करेंगे, जबकि यूपीआई आधारित निकासी पर शुल्क का नया प्रावधान डिजिटल लेन-देन के उपयोग को संतुलित बनाएगा।

आम लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे इन नए नियमों को समझें और समय रहते अपनी तैयारियां पूरी कर लें। चाहे वह अपने मोबाइल नंबर को गैस एजेंसी में अपडेट करना हो, बैंक में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना हो या फिर नकद लेन-देन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना हो—इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। आने वाले समय में ये नियम न केवल दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे, बल्कि एक अधिक पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

संपादकीय

लद्दाख में नई पहल

जम्मू-कश्मीर से अलग होकर नया केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में जनाकांक्षाओं का जो उफान उठा है, केंद्र सरकार उसकी पूर्ति की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। बीते साल राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर स्थानीय संगठन आंदोलित नजर आए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र के दौरे से पूर्व लद्दाख को पांच नये जिले मिले हैं। लेह और कारगिल के बाद- दो जिलों से बढ़कर सात जिलों तक का यह विस्तार इस पर्वतीय अंचल में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निश्चित रूप से इस विशाल भू-भाग वाले, लेकिन कम आबादी वाले क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए इस कदम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। दरअसल, लद्दाख के नुब्रा, जांस्कर और चांगथांग जैसे दूरदराज के इलाकों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह बाधा सिर्फ भौगोलिक ही नहीं थी, बर्फीले दिनों में स्थिति और अधिक कष्टकारी हो जाती है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी क्षेत्र में छोटी प्रशासनिक इकाइयां अधिकारियों को जनता के करीब ला सकती हैं। खासकर लद्दाख जैसे जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। निस्संदेह, छोटी प्रशासनिक इकाइयों के चलते सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तुरंत क्रियान्वयन को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है। सही मायनों में उपायुक्तों और पुलिस प्रमुखों की त्वरित नियुक्ति, बिना किसी देरी के सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक उत्साहजनक संकेत कहा जा सकता है। हालांकि, स्थानीय जनप्रतिनिधि संगठन नये जिले बनाने से संतुष्ट होते शायद ही नजर आएं। दरअसल, लद्दाख की चुनौतियां महज नौकरशाही तक ही सीमित नहीं कही जा सकती हैं। सही मायनों में ये राजनीतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय भी हैं। वे जनाकांक्षाएं भी इसमें शामिल हैं जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद ऊंचे स्तर पर रही हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि लेह की अस्मिता की रक्षा के लिये आंदोलन चलाने वाले संगठन, मसलन कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन समेत कई स्थानीय समूह, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और लेह-लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिये इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। दरअसल, वे इसके लिये संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने का आग्रह करते हैं। इस सप्ताह के अंत तक लद्दाख में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान स्थानीय संगठन निर्णय स्तर की वार्ता की मांग कर रहे हैं। वे विगत में हुई विभिन्न बैठकों को क्षेत्र के लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान के लिये अपर्याप्त बताते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद् व शिक्षाविद् सोनम वांगचुक, जिन्हें गत माह केंद्र सरकार ने लगभग छह माह की हिरासत के बाद रिहा किया था, ने भी शाह की यात्रा के दौरान एक रचनात्मक संवाद की जरूरत पर बल दिया है। वैसे राजग के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गाहे-बगाहे लद्दाख के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती रही है। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि अभी तक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, क्षेत्र में पर्यटन नियमों में ढील और रोजगार के अवसरों को विस्तार देना जैसे सुधार, लद्दाख की आर्थिकी को गति देने का सार्थक प्रयास जरूर कहा जा सकता है। यह भी एक हकीकत है कि नवीनतम प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर जो आशावाद है, वह तभी सार्थक साबित होगा, जब इससे समावेशी विकास, बेहतर शासन और उचित राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो पायेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि लद्दाख चीन सीमा से लगा रणनीतिक महत्व का क्षेत्र है। इसीलिए यहां शांति बनाये रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें सितंबर, 2025 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को एक सबक की तरह लेने की जरूरत है। जिसके मद्देनजर लद्दाखी जनता की आकांक्षाओं को समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

विजय पथ तक पहुँचने के लिए पश्चिम बंगाल में धर्म पथ पर खूब चले मोदी और शाह

> पश्चिम बंगाल में धार्मिक यात्राओं के माध्यम से भाजपा ने बंगाल की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया, ताकि खुद को बाहरी पार्टी की बजाय एक संवेदनशील और जुड़ी हुई शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर चुनाव प्रचार तो किया ही साथ ही पूजा पाठ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ का पूजन कर रहे थे। जबकि मतदान से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भगवान श्री सोमनाथ का पूजन किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में जाकर मिलने वाली हुगली नदी में नौका यात्रा और पूजन किया तो वहीं अमित शाह ने हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर स्थित गंगासागर का दर्शन और पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के मुख्य मंदिर ठाकुरबाड़ी और राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में पूजा-अर्चना की तो अमित शाह ने कपिल मुनि आश्रम में महर्षि कपिल का पूजन कर देशवासियों के कल्याण की कामना की।बंगाल में मतदान वाले दिन प्रधानमंत्री का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने का अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि काशी (वाराणसी) को बंगालियों का दूसरा घर या सांस्कृतिक रूप से बंगाल के बहुत करीब माना जाता है। सदियों से बंगाली तीर्थयात्री, विद्वान और साधु-संत काशी आते रहे हैं, साथ ही कई बंगाली जमींदारों और राजाओं ने काशी में घाटों और मंदिरों का निर्माण करवाया। यही नहीं, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के पास स्थित 'बंगाली टोला' क्षेत्र में बंगाली समुदाय की घनी आबादी है, जहाँ बंगाली संस्कृति, भाषा और खान-पान का गहरा असर देखने को मिलता है। वहीं गुजरात के श्री सोमनाथ में त्रिवेणी

संगम (कपिला, हिरन और सरस्वती) के पास चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है, जो बंगाली भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हुगली नदी पर किये गये नौका विहार का भी खास महत्व है। हुगली को 'आदि गंगा' के रूप में पूजा जाता है। बंगाल के लोगों के लिए हुगली का महत्व वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में गंगा का है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी को चुना था तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसी तरह खुद को 'गंगापुत्र' कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल चुनावों के बीच हुगली को "मां गंगा" कहकर संबोधित किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इससे उन्होंने अपनी छवि को बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री ने हुगली के किनारे समय बिताकर और बेलूर मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्रों की यात्रा कर यह दिखाने की कोशिश भी की कि उनकी पार्टी बंगाल की जड़ों और विरासत का सम्मान करती है। वहीं अमित शाह की गंगा सागर यात्रा भी काफी प्रभावशाली रही। सदियों से यह कहा जाता रहा है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अमित शाह ने इस यात्रा के जरिए भाजपा को बंगाल की जड़ों से जोड़ा। ऐतिहासिक कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना कर उन्होंने बंगाली धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारत को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक कड़ी बताया, जिससे भाजपा ने यह संदेश दिया कि बंगाल की संस्कृति पूरे भारत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। साथ ही अमित शाह ने गंगा सागर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर धर्म और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ा, जो भाजपा की चुनावी रणनीति का मुख्य आधार रहा है।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में पूजा-अर्चना कर भी बड़ा संदेश दिया। उत्तरी कोलकाता की प्रमुख उत्तर-दक्षिण सड़क बिधान सरानी पर स्थित, ठनठनिया काली मंदिर की स्थापना 1703 में उदय नारायण ब्रह्मचारी ने उस भूमि पर की थी, जहां उस समय श्मशान घाट हुआ करता था। इस मंदिर में मां सिद्धेश्वरी की पूजा की जाती है। यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा मांसाहारी प्रसाद चढ़ाने की है। इस मंदिर में पूजा कर प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि भाजपा बंगाल की विविध खान-पान और धार्मिक परंपराओं को स्वीकार करती है और उनका सम्मान करती है, जिससे विरोधियों के "शाकाहारी थोपने" के आरोपों का जवाब दिया गया। साथ ही यह मंदिर रामकृष्ण परमहंस से भी जुड़ा है, जो यहाँ अक्सर भजन गाने आते थे। इस यात्रा के जरिए भाजपा ने खुद को बंगाल के पुनर्जागरण और आध्यात्मिक महापुरुषों की विरासत से भी जोड़ा।
वहीं उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ महासंघ के मुख्य मंदिर ठाकुरबाड़ी में दर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के दलित (नामशुद्र) समाज के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पीएम मोदी ने 2021 में बांग्लादेश स्थित मतुआ समुदाय के जन्मस्थान ओराकांडी की भी यात्रा की थी। ठाकुरबाड़ी की वर्तमान यात्रा उस निरंतरता को दर्शाती है। मतुआ मतदाता कम से कम 34 विधानसभा सीटों और बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित दो दर्जन अन्य सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उल्लेखनीय है कि हरिचंद ठाकुर द्वारा 19वीं शताब्दी में स्थापित मतुआ महासंघ एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन है, जिसने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से नामशुद्र समुदाय के उत्थान के लिए काम किया है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये धार्मिक यात्राएं केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थीं। इन यात्राओं के माध्यम से भाजपा ने बंगाल की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया, ताकि खुद को बाहरी पार्टी की बजाय एक संवेदनशील और जुड़ी हुई शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आस्था, संस्कृति और राजनीति के इस संगम ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक भारतीय चुनावों में प्रतीकवाद और भावनात्मक जुड़ाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने विकास और नीतिगत मुद्दे।

प्रेरणा

कला की सच्चाई और प्रतिबद्धता का अमर उदाहरण

भारतीय सिनेमा और साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे प्रसंग दर्ज हैं, जो यह साबित करते हैं कि सच्ची कला कभी समझौते की मोहताज नहीं होती। यह कहानी भी उसी सत्य को उजागर करती है, जब एक रचनाकार ने व्यावसायिक लाभ के दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया और अपनी रचना की आत्मा को बचाए रखा। यह प्रसंग जुड़ा है महान गीतकार शैलेंद्र और उनके घनिष्ठ साहित्यिक मित्र फणीश्वरनाथ 'रेणु' से, जिनकी संवेदनशील कहानी पर बनी फिल्म तीसरी कसम आज भारतीय सिनेमा की कालजयी धरोहर मानी जाती है।
जब 'तीसरी कसम' का निर्माण पूरा हुआ, तो शैलेंद्र ने इसे कुछ फिल्म वितरकों को दिखाया। उस दौर में सिनेमा का मुख्य उद्देश्य अक्सर मनोरंजन और मुनाफा कमाना माना जाता था, इसलिए वितरकों की नजर सबसे पहले इस बात पर जाती थी कि फिल्म दर्शकों को कितनी 'खुश' या 'संतुष्ट' करके बाहर भेजेगी। फिल्म देखने के बाद वितरकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि इसका अंत निराशाजनक है। उनका मानना था कि यदि अंत को थोड़ा बदल दिया जाए, उसे अधिक 'खुशहाल' बना दिया जाए, तो फिल्म ज्यादा सफल हो सकती है और बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
यह सुझाव सुनना किसी भी निर्माता के लिए सामान्य बात हो सकती थी, क्योंकि फिल्म उद्योग में अक्सर रचनात्मकता से ज्यादा व्यावसायिकता को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन शैलेंद्र उन कलाकारों में से नहीं थे, जो अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर केवल लाभ-हानि के गणित में उलझ जाएं। उन्होंने इस सुझाव पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि अपने मित्र और मूल कहानी के रचनाकार फणीश्वरनाथ 'रेणु' की ओर देखा। 'रेणु' जी का चेहरा उस समय उदासी से भर गया था, मानो उनकी रचना की आत्मा पर किसी ने आघात किया हो।
एक सच्चा कलाकार दूसरे सच्चे कलाकार की भावनाओं को बिना शब्दों के भी समझ लेता है। शैलेंद्र ने 'रेणु' जी की इस मनोदशा को तुरंत भांप लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक फिल्म का अंत बदलने की बात नहीं है, बल्कि यह उस संवेदनशीलता और यथार्थ की हत्या होगी, जिसे 'रेणु' जी ने अपनी कहानी में बड़ी मेहनत और ईमानदारी से बुना था। यहीं पर शैलेंद्र ने वह निर्णय लिया, जिसने उन्हें एक साधारण निर्माता से उठाकर एक महान कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया।
उन्होंने वितरकों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ बातें लाभ-हानि के चक्र से परे होती हैं। हर चीज को व्यापार की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, खासकर तब जब बात कला और संवेदना की हो। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म चले या न चले, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वे इसकी कहानी में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। उनके लिए यह फिल्म केवल एक उत्पाद नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति थी, जिसे वे किसी भी कीमत पर विकृत नहीं होने देना चाहते थे।
यह निर्णय आसान नहीं था। उस समय शैलेंद्र खुद आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। फिल्म निर्माण में उन्होंने अपनी जमा-पूंजी लगा दी थी और उन्हें इस बात का अंदेशा भी था कि अगर फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। यह वही क्षण था, जब कला और प्रतिबद्धता के बीच कोई द्वंद्व नहीं रहा, बल्कि दोनों एक हो गए।
शैलेंद्र का विश्वास था कि सच्ची कला को समय जरूर पहचानता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ईश्वर उनकी कृति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। यह केवल एक विश्वास नहीं था, बल्कि एक कलाकार की अपनी रचना के प्रति अटूट आस्था थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब रचनाकार अपनी कृति के प्रति ईमानदार रहता है, तो वह भले ही तत्काल सफलता न पाए, लेकिन इतिहास में उसका स्थान निश्चित हो जाता है।
समय ने शैलेंद्र के इस विश्वास को सच साबित किया। 'तीसरी कसम' को तत्कालीन दौर में भले ही बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन इसकी संवेदनशील कहानी, सशक्त अभिनय और संगीत ने इसे एक अलग पहचान दिलाई। बाद में इस फिल्म को राष्ट्रपति के हाथों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो इस बात का प्रमाण था कि सच्ची कला की पहचान देर से ही सही, लेकिन अवश्य होती है।
आज 'तीसरी कसम' को भारतीय सिनेमा की 'कल्ट' फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म के संवाद, गीत और इसकी भावनात्मक गहराई आज भी दर्शकों के दिलों को छूती है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर की सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण है। इसमें दिखाया गया यथार्थ किसी कृत्रिम 'हैप्पी एंडिंग' से कहीं अधिक प्रभावशाली और सच्चा है।
इस पूरे प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि कला का असली मूल्य उसकी सच्चाई और ईमानदारी में होता है, न कि उसके तात्कालिक लाभ में। जब कलाकार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तो वह केवल एक रचना नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसी विरासत छोड़ता है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। शैलेंद्र का यह निर्णय आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो अपने काम में ईमानदारी और समर्पण को सर्वोपरि मानता है।
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में अक्सर लोग आसान रास्ता चुनने की सलाह देते हैं, लेकिन सच्ची सफलता उसी को मिलती है, जो कठिन रास्ते पर चलने का साहस रखता है। शैलेंद्र ने अगर उस समय वितरकों की बात मान ली होती, तो शायद 'तीसरी कसम' एक साधारण फिल्म बनकर रह जाती। लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने इसे अमर बना दिया।
अंततः, यह प्रसंग केवल एक फिल्म या दो महान रचनाकारों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विचार का प्रतीक है कि जब कला और प्रतिबद्धता एक साथ चलते हैं, तो वे समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची रचनात्मकता कभी समझौता नहीं करती, और जो कलाकार अपने सत्य के प्रति ईमानदार रहता है, वही इतिहास में अमर होता है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का वैश्विक अर्थ

वैश्विक परिदृश्य इन दिनों युद्ध की अनिश्चितताओं, तनावों और भू-राजनीतिक खींचतान से भरा हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने विश्व अर्थव्यवस्था के सामने कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) केवल एक द्विपक्षीय आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि वैश्विक निराशा के बीच आशा का एक सशक्त संदेश बनकर उभरा है। यह समझौता उस विश्वास को पुनर्जीवित करता है कि सहयोग, संवाद और साझेदारी ही भविष्य की स्थायी समृद्धि का मार्ग हैं। यह समझौता कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। सबसे पहले, इसे मात्र नौ महीनों में अंतिम रूप दिया जाना अपने आप में एक उपलब्धि है, जो दोनों देशों की प्रतिबद्धता और व्यावहारिक कूटनीति को दर्शाता है। दूसरी ओर, यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यापार व्यवस्था में बहुपक्षीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठ रहे हैं और देश तेजी से द्विपक्षीय या क्षेत्रीय समझौतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन की धीमी गति और जटिलताओं के बीच यह समझौता एक नई दिशा का संकेत देता है, जहां लचीले और उद्देश्यपरक समझौते अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय निर्यातकों को लगभग सभी उत्पादों पर शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच प्रदान करना। यह भारतीय उद्योग, विशेषकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग वस्तुएं और प्लास्टिक उत्पाद जैसे क्षेत्रों को इससे अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल निर्यात बढ़ेगा, बल्कि भारत में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है, इस समझौते के माध्यम से और अधिक सशक्त होगी। निवेश के क्षेत्र में भी यह समझौता नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। यह निवेश बुनियादी ढांचे, कृषि, तकनीक और सेवा क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। जब कोई विकसित देश किसी उभरती अर्थव्यवस्था में इस स्तर का निवेश करता है, तो यह अन्य वैश्विक निवेशकों के लिए भी सकारात्मक संकेत होता है। इस प्रकार यह समझौता एक 'ट्रिगर पॉइंट' के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे भारत में विदेशी निवेश की नई लहर उत्पन्न हो। सेवा क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह समझौता और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन और आयुष जैसे क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों को लाभ होगा। भारतीय पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड में काम करने के अवसरों का विस्तार, विशेष रूप से हर वर्ष हजारों कार्य वीजा की सुविधा, वैश्विक प्रतिभा प्रवाह को नई दिशा देगा। यह न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित करेगा।
इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृषि सहयोग। न्यूजीलैंड अपनी उन्नत कृषि तकनीकों और उच्च उत्पादकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत के पास विशाल भूमि और विविध जलवायु है। दोनों देशों के बीच सहयोग से कीवी, सेब, शहद और अन्य उत्पादों के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। इससे भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी। साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने डेयरी और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, जो इस समझौते की संतुलित प्रकृति को दर्शाता है। वैश्विक दृष्टि से देखें तो यह समझौता उस समय आया है जब दुनिया व्यापार के नए मॉडल तलाश रही है। एक समय था जब वैश्विक व्यापार मुख्यतः केंद्रीकृत संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता था, लेकिन अब देश अपने-अपने हितों के अनुसार लचीले और त्वरित समझौते कर रहे हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं, जो उसकी सक्रिय आर्थिक कूटनीति का प्रमाण हैं। यह समझौता भी उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में और गहराई से जोड़ता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समझौते को किसानों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और उद्यमियों के लिए लाभकारी बताना केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि इसकी व्यापक सामाजिक-आर्थिक संभावनाओं का संकेत है। यह समझौता समावेशी विकास की अवधारणा को भी सुदृढ़ करता है, जहां आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचता है। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि भारत अब किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने की नीति से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में हो रही देरी के बीच भारत का यह कदम उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता और बहुविकल्पीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने लिए नए बाजारों और साझेदारों की तलाश में सक्रिय है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिरता और मजबूती बनी रहे। हालांकि, इस समझौते के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होना होगा। गुणवत्ता, नवाचार और लागत-प्रभावशीलता के क्षेत्र में सुधार आवश्यक होगा। साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस समझौते के लाभ व्यापक रूप से वितरित हों और छोटे तथा मध्यम उद्यम भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके बावजूद, यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल है। यह न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह समझौता उस दिशा में एक कदम है, जहां प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभियान

रहस्य, आस्था और तांत्रिक परंपरा का अद्भुत संगम: ठनठनिया काली मंदिर की अनसुनी कथा

चुनावी हलचल, सियासी नारों और रैलियों की गूंज के बीच जब पूरा देश राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त था, उसी समय पश्चिम बंगाल का एक प्राचीन मंदिर अचानक राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया। यह मंदिर है ठनठनिया काली मंदिर, जो अपनी विशिष्ट परंपराओं, रहस्यमयी इतिहास और तांत्रिक साधना के लिए जाना जाता है। जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना की, तो यह प्राचीन धाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। लेकिन इस चर्चा के पीछे केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, विश्वास और रहस्य की वह गाथा छिपी है, जो इस मंदिर को विशेष बनाती है।
कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित यह मंदिर अपने भीतर एक अलग ही संसार समेटे हुए है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही एक प्राचीन आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है। यहां मां काली की पूजा उनके 'सिद्धेश्वरी' स्वरूप में की जाती है, जो शक्ति, संरक्षण और तांत्रिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह स्वरूप साधारण पूजा-पद्धति से अलग है और इसमें मां को एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो जीवन के हर पहलू—सुख-दुख, जन्म-मृत्यु, निर्माण-विनाश—सब पर समान अधिकार रखती हैं।
इस मंदिर की सबसे चर्चित और अनोखी परंपरा है यहां चढ़ाया जाने वाला आमिष भोग। सामान्यतः हिंदू मंदिरों में देवी-देवताओं को फल, मिठाई या अन्य सात्विक प्रसाद अर्पित किया जाता है, लेकिन यहां मां को मांसाहारी भोग चढ़ाने की परंपरा है। यह परंपरा न केवल लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है, बल्कि यह तांत्रिक साधना के गहरे प्रभाव को भी दर्शाती है। मान्यता है कि महान संत रामकृष्ण परमहंस ने अपने समय में अपने प्रिय शिष्य केशब चंद्र सेन के स्वास्थ्य लाभ के लिए मां को 'डाब-चिंगड़ी' अर्थात नारियल और झींगे का भोग अर्पित किया था। उसी समय से यहां यह परंपरा शुरू हुई और आज तक निर्विघ्न रूप से चल रही है।
इस परंपरा को समझने के लिए तंत्र साधना की अवधारणा को समझना आवश्यक है। तंत्र में देवी को केवल एक सात्विक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में देखा जाता है, जो हर प्रकार की ऊर्जा को स्वीकार करती हैं। इसलिए यहां आमिष भोग चढ़ाना किसी विरोधाभास का नहीं, बल्कि उस व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिसमें जीवन के सभी पक्षों को समान रूप से स्वीकार किया जाता है। यह परंपरा इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है और इसे तांत्रिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में स्थापित करती है।
मंदिर का इतिहास भी अत्यंत रोचक और रहस्यमय है। कहा जाता है कि वर्ष 1703 के आसपास यह स्थान घने जंगलों और श्मशान भूमि से घिरा हुआ था। उस समय उदनारायण ब्रह्मचारी नामक एक तांत्रिक साधक ने यहां मां काली की सिद्धेश्वरी रूप में स्थापना की थी। यह स्थान साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता था, क्योंकि तंत्र साधना में श्मशान और एकांत स्थानों का विशेष महत्व होता है। बाद में वर्ष 1860 में शंकर घोष ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया और इसके साथ ही पुष्पेश्वर शिव का आठचाला मंदिर भी बनवाया। आज भी उनके वंशज इस मंदिर की सेवा करते हैं, जो इस परंपरा की निरंतरता का प्रमाण है।
इस मंदिर के नाम के पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब यह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था, तब मंदिर में बजने वाली घंटियों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई देती थी। इन घंटियों की 'ठन-ठन' की ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि धीरे-धीरे इस क्षेत्र का नाम ही 'ठनठनिया' पड़ गया। यह नाम आज भी उस प्राचीन ध्वनि और वातावरण की याद दिलाता है, जो इस मंदिर की पहचान हुआ करता था।
मंदिर की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक इसकी मूर्ति है, जो मिट्टी से बनी होती है। जहां अधिकांश मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां स्थापित होती हैं, वहीं यहां हर वर्ष मां की मूर्ति का पुनः संस्कार किया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि यहां पूजा केवल स्थिर रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया के रूप में होती है। चतुर्भुजा और गहरे काले वर्ण वाली सिद्धेश्वरी देवी के हाथों में खड्ग और नरकपाल सुशोभित हैं, जो उनके उग्र और शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक हैं। यह स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि मां केवल करुणा की देवी नहीं हैं, बल्कि वे अन्याय और अधर्म का संहार करने वाली शक्ति भी हैं।
इस मंदिर में पूजा तांत्रिक विधि से की जाती है, जिसमें विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। यह पूजा सामान्य वैदिक पद्धति से अलग होती है और इसमें साधक को विशेष अनुशासन और साधना की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि यह मंदिर तंत्र साधना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहां आने वाले साधक केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि वे अपनी साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास भी करते हैं।
हर अमावस्या को इस मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिलती है। अमावस्या का दिन मां काली की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस अवसर पर हजारों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन मंदिर का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरा होता है। भक्तों की आस्था, मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जो हर किसी को आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। इसके अलावा, मंदिर प्रतिदिन भी भक्तों के लिए खुला रहता है और लोग सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन कर सकते हैं।
इस मंदिर की लोकप्रियता केवल इसकी परंपराओं और मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की गहरी आस्था का केंद्र भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु यह मानते हैं कि मां सिद्धेश्वरी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं और उन्हें जीवन के कठिन समय में शक्ति प्रदान करती हैं। यही कारण है कि यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि अपने साथ एक नई उम्मीद और विश्वास लेकर जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पूजा करने के बाद इस मंदिर की चर्चा पूरे देश में और भी बढ़ गई है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि भारत की आध्यात्मिक परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली हैं, जितनी सदियों पहले थीं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो भारत की पहचान को विशिष्ट बनाती है।
यहां यह समझना भी आवश्यक है कि इस प्रकार के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मृति के भी वाहक होते हैं। ठनठनिया काली मंदिर के माध्यम से हमें न केवल तंत्र साधना और देवी उपासना की झलक मिलती है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि भारतीय समाज ने किस प्रकार विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं को अपने भीतर समाहित किया है।
अंततः, ठनठनिया काली मंदिर केवल एक प्राचीन धाम नहीं, बल्कि यह आस्था, रहस्य और परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष स्थान रखता है और आने वाले समय में भी यह आस्था और विश्वास का केंद्र बना रहेगा।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

गुजरात के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा एवं सुविधा का समन्वय

प्रथम चरण में गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका तथा डांग जिलों में टूरिस्ट-फ्रेंड्ली वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष टूरिस्ट पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे

- इस पहल का उद्देश्य मात्र कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि गुजरात की यात्रा पर आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को एक सुरक्षित तथा टूरिस्ट-फ्रेंड्ली वातावरण प्रदान करना है : डॉ. के. एल. एन. राव
- टूरिस्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म डिजाइन करने पर भी चर्चा हुई
- पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक जानकारी तथा सुरक्षा संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सेंट्रल इंटरेक्टिव टूरिस्ट पुलिस एप्लिकेशन' विकसित की जाएगी
- राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव की अध्यक्षता में आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक

गांधीनगर : गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा तथा सुखद अनुभव में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) सहित गिर सोमनाथ, द्वारका तथा डांग जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिस महानिदेशक (डीजी) तथा पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन जिलों में समर्पित 'टूरिस्ट पुलिस स्टेशन' कार्यरत करना है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में पहले चरण में गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका तथा डांग जैसे प्रमुख पर्यटन जिलों में टूरिस्ट-फ्रेंड्ली वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष टूरिस्ट पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। जिन पर्यटन स्थलों पर पहले से जो पुलिस चौकियाँ कार्यरत हैं, वहाँ उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग कर उन्हें अत्याधुनिक टूरिस्ट पुलिस थाने के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।

पर्यटक पुलिस को आसानी से पहचान सकें तथा सहायता प्राप्त कर सकें; इसके लिए पुलिस कर्मचारियों के लिए विशेष यूनिफॉर्म बनाने तथा वाहनों के लिए एक अनन्य 'लोगो' डिजाइन करने पर भी बैठक में चर्चा की गई।

प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की त्वरित सहायता के लिए कंटेनर आधारित ढाँचे द्वारा 'हेल्प डेस्क' तथा 'कीयोस्क' भी स्थापित किए जाएंगे।

पर्यटकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक जानकारी तथा सुरक्षा संबंधी सेवाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से सभी पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को एक सेंट्रल 'इंटरेक्टिव टूरिस्ट पुलिस एप्लिकेशन' विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इतना ही नहीं; इस बैठक में हर टूरिस्ट पुलिस स्टेशन में पर्याप्त संख्या में मानव बल, नए वाहनों की खरीदारी तथा आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि गुजरात की यात्रा पर आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को एक सुरक्षित तथा मैत्रीपूर्ण (टूरिस्ट-फ्रेंड्ली) वातावरण प्रदान करना है।

राज्य पुलिस विभाग द्वारा आगामी समय में इस आयोजन को वेग देने के लिए गुजरात के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर अधिक सुरक्षित बनाने की मंशा व्यक्त की गई है।

जैविक खाद में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूरत के किसान का यज्ञ : 'धनजीवामृत' का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया

- 1 मई को सूरत में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन 'रासायनिक खाद में आत्मनिर्भरता : खाद क्षेत्र में आयात के विकल्प की रणनीतियाँ' विषय पर चर्चा आयोजित होगी, जिसमें कमलेश पटेल सहभागी होंगे
- प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए कमलेश पटेल रोज 1000 लीटर जीवामृत भी तैयार कर बेचते हैं और 1000 (एक बैग का वजन 40 किलो) धनजीवामृत तैयार करते हैं
- राज्य में 8 लाख से अधिक किसान रासायनिक खाद का त्याग कर संपूर्ण प्राकृतिक की ओर मुड़े हैं

गांधीनगर : समग्र राज्य में हाल में गर्मी का पारा 44 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसे समय में सूरत के मांगरोळिया गाँव में कमलेश पटेल के खेत में 20 से अधिक मजदूर खरीफ मौसम से पहले प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए 'धनजीवामृत' बनाने में व्यस्त हैं।

सूरत जिले की पलसाणा तहसील के अंभेटी गाँव के किसान कमलेश पटेल प्राकृतिक खेती करते हैं। इतना ही नहीं; वे देश में रासायनिक खाद का आयात कम हो तथा उसके सुदृढ़ विकल्प के रूप में धनजीवामृत लाखों किसानों तक पहुँचे; इस संकल्प के साथ बड़े पैमाने पर धनजीवामृत तैयार कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती का प्रचार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाते हैं। कमलेश पटेल भी मास्टर ट्रेनर हैं तथा अनेक किसानों को प्राकृतिक खेती करने की प्रेरणा देते हैं।

राज्य में हाल में 8 लाख से अधिक किसानों ने रासायनिक खाद को त्याग कर संपूर्ण प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े हैं। साढ़े पाँच हेक्टेयर से अधिक जमीन में प्राकृतिक हो रही है। प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ने से रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में जीवामृत तथा धनजीवामृत का उपयोग होता है और उसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

आगामी 1 मई को सूरत में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के पहले दिन 'रासायनिक खाद में आत्मनिर्भरता : खाद क्षेत्र में आयात के विकल्प की रणनीतियाँ' विषय पर चर्चा होगी। कमलेश पटेल इस

चर्चा में सहभागी होंगे।

वर्ष 2017 से प्राकृतिक खेती कर रहे कमलेश पटेल ने धनजीवामृत का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया है। वे प्रतिदिन 1000 बैग (एक बैग का वजन 40 किलो) तैयार करते हैं और समग्र राज्य तथा राज्य से बाहर उसकी बिक्री करते हैं। उन्होंने चालू वर्ष में दैनिक 2000 बैग तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में प्राकृतिक खेती का विस्तार हो रहा है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत राज्य के गाँव-गाँव जा रहे हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के फलस्वरूप; किसान रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर उसके विकल्प के रूप में जीवामृत व धनजीवामृत का जैविक खाद के रूप में उपयोग कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये खाद जमीन में सुधार लाते हैं, खेत में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं, जमीन के पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं।

चालू वर्ष में एक लाख बैग धनजीवामृत बनाने का लक्ष्य

कमलेश पटेल ने कहा, "अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। उन्हें जीवामृत व धनजीवामृत की जरूरत पड़ती है। गत वर्ष हमने 50,000 थैलियाँ (40 किलो की एक थैली) बेची थीं और इस वर्ष एक लाख धनजीवामृत की थैली का उत्पादन करने की योजना है।"

सुभाष पालेकर के तीन दिवसीय सेमिनार ने जीवन का मार्ग बदला

वर्ष 2016 में कमलेश पटेल ने सुभाष पालेकर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' संबंधी सेमिनार में भाग लिया था तथा वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उसी क्षण उन्होंने रासायनिक खाद को त्याग दिया तथा प्राकृतिक खेती का मार्ग अपनाया।

प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक लोगों ने प्रेरणा दी

वर्ष 2017 में कमलेश पटेल को गन्ने की खेती में प्राकृतिक खेती से उत्तम परिणाम प्राप्त हुए। गन्ने का प्रति बीघा उत्पादन 45 टन हुआ। यह चमत्कार देखकर गाँव के किसानों ने भी इस पद्धति को अपनाने की तैयारी दर्शाई, लेकिन उनके पास जीवामृत व धनजीवामृत नहीं था। वे इन्हें बनाने के झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए किसानों ने कमलेश पटेल को इन दोनों उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रेरणा दी और कमलेश पटेल ने जीवामत तथा धनजीवामृत का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। गुजरात सरकार ने उनकी आर्थिक सहायता भी की। हाल में कमलेश पटेल दैनिक औसत 40,000 किलो धनजीवामृत तथा 1,000 लीटर जीवामृत तैयार कर बेचते हैं। वे धनजीवामृत 6 रुपए प्रति किलो तथा जीवामृत 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जीवामृत बनाने के लिए उन्हें बायो रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) के लिए सब्सिडी दी जाती है। कृषि विभाग ने धनजीवामृत बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता की है।

सूरत नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को 10-20-30 वर्षों से उच्च वेतन लाभों से वंचित रखने की शिकायत

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम में कार्यरत कई सफाई कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी और सूरत नगर निगम में कार्यरत वे कर्मचारी जो 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं और जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, उन्हें 10 वर्ष पूरे होने पर उच्च वेतन का लाभ दिया जाता है। हाल ही में संशोधित नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी 10, 20, 30 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है, उन्हें 10, 20, 30 वर्ष पूरे होने पर उच्च वेतन का लाभ दिया जाता है। सूरत नगर निगम के कई कर्मचारी 10, 20, 30 वर्षों से उच्च वेतन के लाभ से वंचित हैं। ऐसे कर्मचारियों की कोई शिकायत नहीं सुनी जाती। और जब कर्मचारी अधिकारी के पास जाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि "अभी हमारे पास बहुत काम है। समय आने पर हम काम करेंगे। हमारे पास मत आइए।" इस तरह के जवाब क्लर्क (ईसी) कर्मचारियों द्वारा दिए जाते हैं। सूरत नगर निगम में क्लर्कों के 700 से 800 पद रिक्त हैं। और ये पद वर्षों से भरे नहीं गए हैं।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि लिपिकीय कर्मचारियों पर काम का बोझ अधिक होता है। लेकिन 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा के लिए उच्च वेतन के लाभ के हकदार कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करना किस हद तक उचित है? गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव ने मांग की है कि सूरत नगर निगम के उच्च अधिकारी सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दें।

सरकार पर संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाया गया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में, "भाषण की स्वतंत्रता आदि से संबंधित भारत के नागरिकों के कुछ अधिकारों का संरक्षण" शीर्षक के अंतर्गत, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी कहा गया है कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। विपक्षी दलों द्वारा आयोजित रैलियों के विरुद्ध गुजरात भाजपा सरकार की पुलिस की कार्रवाई भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पूर्णतः उल्लंघन है। पुलिस द्वारा विभिन्न बहाने बनाकर विपक्षी दलों को सभा या रैली आयोजित करने की अनुमति न देना भी संविधान के नियमों के विरुद्ध है।

महात्मा गांधी, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते थे, ने कहा था, "राज्य बलपूर्वक जनता को नियंत्रित करता है, इसलिए हिंसा

ही राज्य के अस्तित्व का आधार है।" मोदी सरकार ने टॉलस्टॉय के इस कथन को अक्षरशः आत्मसात कर लिया है। राज्य का विरोध करने का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। जब जनता को लगता है कि उनके द्वारा चुने गए लोग जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है। और यही लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन मोदी सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करती। पिछले 12 वर्षों के शासनकाल से यह सिद्ध हो चुका है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें मोदी सरकार ने पुलिस की क्रूरता और लाठीचार्ज से आंदोलनों को कुचल दिया है, जिनमें किसान आंदोलन एक उदाहरण है।

जम्मू मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

उत्तर रेलवे के जम्मू मण्डल में इंजीनियरिंग कार्य के कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। विवरण निम्नानुसार हैः

शॉर्ट ओरिजिनेट/शॉर्ट टर्मिनेट ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 19415 साबरमती–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक अमृतसर स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी।
- ट्रेन संख्या 19416 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–साबरमती एक्सप्रेस 02 जून 2026 तक अमृतसर स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।
- ट्रेन संख्या 19223 साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस 14 जून 2026 तक फिरोजपुर कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट (समाप्त) होगी।
- ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी–साबरमती एक्सप्रेस 15 जून 2026 तक फिरोजपुर कैंट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

पूर्णतः निरस्त ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस-एमसीटीएम ऊधमपुर जन्मभूमि एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक पूर्णतः निरस्त रहेगी।
- ट्रेन संख्या 19108 एमसीटीएम ऊधमपुर–भावनगर टर्मिनस जन्मभूमि एक्सप्रेस 01 जून 2026 तक पूर्णतः निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गुजरात से 73 लाख से अधिक यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेनों में किया सफर

महिलाओं की रही पहली पसंद, 722 करोड़ से अधिक का राजस्व किया अर्जित

भारतीय रेलवे की प्रीमियम सेमी-हाईस्पीड सेवा वंदे भारत एक्सप्रेस ने देश में आधुनिक रेल यात्रा की नई पहचान स्थापित की है। फरवरी 2019 में एक सेवा से शुरू होकर आज यह नेटवर्क देशभर में 162 से अधिक ट्रेनों तक विस्तारित हो चुका है, जो प्रमुख शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा से जोड़ रहा है।

गुजरात से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने यात्रियों के बीच विशेष लोकप्रियता हासिल की है। 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि में राज्य से संचालित 6 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों में लगभग 73 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जबकि इनसे कुल 722 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

गुजरात से 6 संचालित वंदे भारत ट्रेनों का विवरण (आरंभ तिथि सहित)

- मुंबई सेंट्रल – गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 01 अक्टूबर 2022
- साबरमती – जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 09 जुलाई 2023
- अहमदाबाद – ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 25 सितंबर 2023
- मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 13 मार्च 2024
- साबरमती – वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 27 मई 2025
- असारवा – उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस : सेवा प्रारंभ 18 फरवरी 2026

अहमदाबाद–मुंबई मार्ग पर दोनों वंदे भारत सेवा यात्रियों की पहली पसंद बन चुकी है। पेशेवर, व्यवसायिक तथा नियमित यात्री इस सेवा का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। इन सेवाओं में न केवल यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, बल्कि कई मार्गों पर मांग क्षमता से कहीं अधिक, 140% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, यह लोकप्रियता को दर्शाती है। कुछ मार्गों पर ऑक्यूपेंसी 100% से अधिक रही है, जबकि कुछ ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी 90% से अधिक रही है।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत निर्मित वंदे भारत ट्रेनें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें शामिल हैं:

- स्वचालित दरवाजे एवं जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली
- आरामदायक रीक्लाइनिंग सीटें एवं पर्याप्त लेगरूम
- मोबाइल चार्जिंग पॉइंट एवं ऑनबोर्ड इन्फोटेनमेंट
- पूर्ण सीसीटीवी कवरेज एवं बायो-वैक्यूम शौचालय
- दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय
- ट्रेन में अग्निशामक यंत्र और फायर अलार्म की व्यवस्था
- उत्कृष्ट खान-पान एवं सेवाएं

यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की ऑनबोर्ड सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें:

- स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन
- क्षेत्रीय स्वाद पर आधारित विविध मेन्यू
- प्री-पैक्ड हाइजीनिक सेवा
- प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा समयबद्ध सेवा

उच्च समयपालन, बेहतर सुरक्षा मानक एवं उत्कृष्ट स्वच्छता के कारण यात्रियों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। तेज गति और कम यात्रा समय के कारण ये ट्रेनें व्यवसायिक एवं अवकाश यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस की यह उल्लेखनीय सफलता भारतीय रेल के यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण का सशक्त प्रमाण है। भारतीय रेल भविष्य में भी यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धूप से निखार तक: सन टैन हटाने के असरदार घरेलू उपाय -शहनाज़ हुसैन

गर्मियों की तेज धूप त्वचा पर सबसे पहले असर दिखाती है और यही वजह है कि इस मौसम में सन टैन एक आम समस्या बन जाती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, धूल-प्रदूषण और पसीना मिलकर त्वचा की रंगत को प्रभावित करते हैं, जिससे चेहरा सांवला, बेजान और थका हुआ दिखने लगता है। कई लोग इससे बचने के लिए महंगे कॉस्मेटिक उत्पादों का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर ये हर स्किन टाइप के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऐसे में प्राकृतिक और घरेलू उपाय न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि लंबे समय तक त्वचा को पोषण भी देते हैं। भारतीय ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन भी हमेशा प्राकृतिक उपायों को प्राथमिकता देने की सलाह देती रही हैं।

पपीता सन टैन हटाने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इसमें मौजूद एंजाइम त्वचा की डेड सेल्स को हटाकर उसे चमकदार बनाते हैं। पके हुए पपीते को मैश करके उसमें कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर चेहरे पर लगाने से धीरे-धीरे टैन कम होने लगता है। यदि इसमें शहद मिला दिया जाए तो यह त्वचा को नमी भी देता है और चेहरा मुलायम बनता है। नियमित इस्तेमाल से त्वचा में प्राकृतिक ग्लो लौट आता है। नींबू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता

है। एक चम्मच नींबू का रस, शहद और दूध मिलाकर बनाया गया फेस पैक त्वचा की रंगत निखारने में मदद करता है। दूध में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को टोन करते हैं, जबकि शहद उसे हाइड्रेट रखता है। वहीं नींबू और चीनी का मिश्रण हल्के स्क्रब की तरह काम करता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाकर नई त्वचा को उभरने का मौका देता है। लेकिन ध्यान रखें कि नींबू का उपयोग संवेदनशील त्वचा पर सावधानी से करें।

खीरा गर्मियों का सबसे ठंडक देने वाला प्राकृतिक उपाय है। इसमें भरपूर पानी होता है, जो त्वचा को हाइड्रेट करता है और जलन को शांत करता है। खीरे का रस, गुलाब जल और नींबू मिलाकर कॉटन से चेहरे पर लगाने से टैन धीरे-धीरे हल्का होने लगता है। इसके अलावा खीरे, पपीते, दही और ओट्स का मिश्रण भी त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है।

जई यानी ओट्स भी त्वचा की सफाई और टैन हटाने में मददगार हैं। जई के आटे में मठा मिलाकर लगाया गया पेस्ट त्वचा की गंदगी को हटाता है और उसे फ्रेश बनाता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी त्वचा पर धूप का असर ज्यादा होता है।

केला, शहद और ऑलिव ऑयल का मिश्रण त्वचा को पोषण देने के साथ-साथ उसकी रंगत सुधारने में भी मदद करता है। केला त्वचा को सॉफ्ट बनाता है, शहद नमी बनाए रखता है और ऑलिव ऑयल त्वचा को गहराई से पोषण देता है। यह पैक सूखी त्वचा वालों के लिए खासतौर पर लाभकारी है।

एलोवेरा त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद गुण त्वचा को ठंडक देते हैं और टैन को धीरे-धीरे कम करते हैं। एलोवेरा जेल में हल्दी और शहद मिलाकर लगाने से त्वचा साफ और चमकदार बनती है। अगर रोजाना सिर्फ एलोवेरा जेल भी लगाया जाए तो त्वचा की रंगत में सुधार दिखने लगता है।

बेसन और दही का पारंपरिक नुस्खा भी आज तक उतना ही असरदार है। इसमें हल्दी मिलाकर लगाने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और टैन कम होता है। यह मिश्रण त्वचा को प्राकृतिक तरीके से निखार देता है और किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। कुछ लोग शहद, संतरे का रस और अंडे के सफेद हिस्से का फेस पैक भी इस्तेमाल करते हैं। यह त्वचा को टाइट करने के साथ-साथ उसे ग्लोइंग बनाता है। वहीं दही और नींबू का मिश्रण भी त्वचा को साफ और फ्रेश रखने में मदद करता है।

आलू का रस भी टैन हटाने में काफी लोकप्रिय घरेलू उपाय है। इसमें प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो त्वचा के दाग-धब्बों और टैन को हल्का करने में सहायक होते हैं। कद्दूकस किए हुए आलू का रस चेहरे पर लगाकर कुछ देर बाद धोने से त्वचा साफ और चमकदार दिखने लगती है।

इन सभी उपायों के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि आप धूप में निकलते समय अपनी त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखें। हल्के कपड़े, स्कार्फ, सनस्क्रीन और पर्याप्त पानी का सेवन आपकी त्वचा को अंदर और बाहर दोनों तरह से सुरक्षित रखता है। घरेलू नुस्खे तभी असर दिखाते हैं जब उन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए और त्वचा के अनुसार सही उपाय चुना जाए।

गर्मियों में सन टैन से पूरी तरह बचना मुश्किल जरूर है, लेकिन सही देखभाल और प्राकृतिक उपायों की मदद से इसे कम किया जा सकता है। ये घरेलू नुस्खे न केवल आपकी त्वचा को टैन से राहत देते हैं, बल्कि उसे स्वस्थ, मुलायम और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत भी बनाते हैं।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

संख्या - W/623/5/1/NIT दिनांक 27.04.2026

मंडल रेल प्रबंधक/मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए 'खुली निविदा' ई-निविदा के माध्यम से वेबसाईट www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है -

क्रम सं.	ई-टेण्डरिंग संख्या व कार्य का नाम	अनुमानित लागत	बयाना राशी
1	RTM-2025-26-204 Bolai Station - Provision of Covered Foot Over Bridge with ramp.	3,70,53,395.38	7,41,100.00
2	RTM-2025-26-205 Kalapipal Station -: Raising of platforms at Platform No.1 and Platform No.2.	3,17,34,713.48	6,34,700.00

कार्य समापन अवधि : Sr. No. 1 & 2 - 10 Months; **Similar type of work: Sr. No.1 -** Any bridge work involving fabrication, erection & launching of FOB/ Steel Girders/Composite Girder for Railway, Road Bridges. **Sr. No.2 -** Any Civil Engineering Work **वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि : Sr. No.1 & 2:** 27.04.2026 **निविदा खुलने की तिथि : Sr. No.1 & 2:** 19.05.2026. विस्तृत निविदा सूचना, अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है।

Apex/25 **मण्डल रेल प्रबंधक (कार्यलेखा) रतलाम पश्चिम रेलवे**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मण्डल

ई-निविदा सूचना

Tender Notice No. M247GLRSRSI 262707 Dated: 27.04.2026. कार्य का नाम: सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लॉक (RSI) का रिपेयर / रिहेबिलिटेशन तथा रिकंडिशनिंग, मात्रा - 30 लोको सेट **स्थान:** मु.का.प्र./दाहोद प. रेलवे कार्यालय **कार्य की अनुमानित लागत:** Rs. 4,00,77,000/- **बयाना राशि:** Rs. 8,01,600/- **ई-निविदा जमा करने तथा खुलने की दिनांक तथा समय:** ई-निविदा जमा करने की नियत दिनांक तथा समय 19-05-2026 को 14:30 बजे तक तथा ई-निविदा उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी । **निविदा सूचना तथा प्रपत्र उपलब्धता: www.ireps.gov.in / E-Tenders / Works / IR Electrical.**

Apex/26

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

गर्मी की छुट्टियों में मनोरंजन के साथ-साथ विज्ञान भी सीखेंगे गुजरात के बच्चे, 'गुजकोस्ट' द्वारा समर साइंस कैंप 2026 का आयोजन

- राज्य में स्थित चार क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों में 1 से 30 मई, 2026 के दौरान विभिन्न बैच में 3 दिवसीय समर साइंस कैंप आयोजित होंगे
- कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए आयोजित इस समर कैंप में विज्ञान आधारित 5 आकर्षक थीम को कवर किया जाएगा
- समर कैंप में छात्रों को नमो सरस्वती विज्ञान साधना और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी

गांधीनगर : गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (GUJCOST-गुजकोस्ट) राज्य भर में विज्ञान विषय की शिक्षा और विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। राज्य के आम लोगों, विशेषकर छात्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि बढ़ाने और समझ विकसित करने के उद्देश्य से गुजकोस्ट द्वारा पाटण, भावनगर, राजकोट और भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों (आरएससी) की स्थापना की गई है। ये केंद्र आज विज्ञान विषय की जिज्ञासा को शांत करने तथा व्यावहारिक शिक्षा एवं साइंस टूरिज्म के वाइब्रेंट केंद्र के रूप में उभरे हैं।

गुजकोस्ट ने गर्मियों की छुट्टियों को बच्चों के लिए और आकर्षक बनाने तथा उन्हें मनोरंजन के साथ विज्ञान की शिक्षा देने के लिए एक नई पहल की है। विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले बच्चों के साथ-साथ अन्य बच्चों में भी विज्ञान के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के उद्देश्य से गुजकोस्ट ने आगामी 1 से 30 मई के दौरान राज्य में स्थित चारों क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों में अलग-अलग बैच में 3 दिवसीय रेजिडेंशियल समर साइंस कैंप का आयोजन किया है। इस समर कैंप को कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक बैच में अधिकतम 50 छात्र शामिल हो सकते हैं। इस कैंप के दौरान विज्ञान आधारित पांच आकर्षक थीम को कवर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विज्ञान और आविष्कार की भूमिका पर बल देते हुए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' का अपडेटेड राष्ट्रीय नारा दिया है। उन्होंने कहा है, "विज्ञान भारत के भविष्य के विकास और नवाचार के केंद्र में है। विज्ञान आविष्कार, क्रमिक विकास और नवाचार का आधार है।" मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भी इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि गुजरात के अधिक से अधिक छात्रों की विज्ञान में दिलचस्पी पैदा हो। आज, जब गुजरात सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और डिजिटल साइंस जैसे क्षेत्रों का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब भविष्य में इन क्षेत्रों के लिए कुशल तकनीकी कार्यबल की बड़े पैमाने पर मांग पैदा होगी। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक छात्र कक्षा 11 और 12 में विज्ञान संकाय का चुनाव करें। गुजकोस्ट द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र विज्ञान विषय में रुचि लें और आगे जाकर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोचें।

समर साइंस कैंप 2026 में पांच आकर्षक थीम को कवर किया जाएगा

कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए आयोजित किए गए इस समर कैंप में छात्रों के लिए रुचिकर पांच आकर्षक थीमों को कवर किया गया है। इनमें वैज्ञानिक कैसे बनें, स्पेस (अंतरिक्ष) समर कैंप, मरीन बायोलॉजी/मशीन इंजीनियरिंग, एआई और रोबोटिक्स तथा एक्सप्लोरिंग नेचर यानी प्रकृति के तत्वों की खोज जैसी थीमें शामिल हैं।

समर साइंस कैंप के दौरान छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जिनमें व्यावहारिक प्रयोग, विज्ञान प्रदर्शनी, मल्टीमीडिया सत्र, नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन (रात्रिकालीन खगोलीय अवलोकन), फील्ड विजिट, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान से जुड़े खेल और वॉक-थ्रू इन गैलरी आदि शामिल हैं। ये गतिविधियां बच्चों को मनोरंजन के साथ विज्ञान से परिचित कराएंगी।

छात्रों को दी जाएगी नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के बारे में जानकारी

समर साइंस कैंप के दौरान छात्रों को विज्ञान विषय के विशेषज्ञों के साथ बातचीत और चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा। इसके अलावा, कैंप के दौरान बच्चों को नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना जैसी राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ-साथ भावी करियर के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य के छात्रों को कक्षा 11 और 12 में विज्ञान संकाय में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना लागू की है। राज्य के सरकारी या अनुदानित स्कूलों में कक्षा 5 की पढ़ाई पूरी करने वाले 2,00,000 प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विभिन्न स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना तथा राज्य के सरकारी या शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कक्षा-1 से 8 तक पढ़ाई पूरी करने वाले 1,00,000 प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विभिन्न स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना लागू की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करना है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की शिक्षा अधूरी न रह जाए।

गुजकोस्ट द्वारा समर साइंस कैंप की इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मकता बढ़ाना, स्टेम (एसटीईएम- साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) करियर को बढ़ावा देना तथा छात्रों और विज्ञान के बीच एक स्थायी संबंध स्थापित करना है। इस कैंप में छात्रों को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कैंप में हिस्सा लेने के इच्छुक छात्र और उनके अभिभावक अपने क्षेत्र के निकट स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अमृत भारत स्टेशन ने बदली भारतीय रेल की तस्वीर, इंफ्रा के कार्यों ने बढ़ाई रेल की गति

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के कुशल मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इंजीनियरिंग, ट्रैक अनुरक्षण, संरचना सुदृढ़ीकरण तथा यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वडोदरा मंडल के 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। मंडल द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से न केवल रेल संचालन में संरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है, बल्कि यात्रियों को भी बेहतर एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) श्री सुमित ठाकुर ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 मई, 2025 को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसमें वडोदरा मंडल के 5 स्टेशन उत्राण, कोसंबा, डेरोल, डाकोर और करमसद शामिल रहे। इन स्टेशनों पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉडर्न टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गयी है। प्रतापनगर और गोधरा स्टेशन भी अमृत भारत स्टेशन के लिए तैयार है।

वर्ष 2025-26 में वडोदरा मंडल पर संरक्षा को मजबूती देते हुए लेवल क्रासिंग को समाप्त कर 5 रोड ओवर ब्रिज (ROB) तथा 3 रोड अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया गया।

ट्रैक कार्यों के अंतर्गत 169.189 यूनिट कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल (CTR), 192.128 ट्रैक किलोमीटर थ्रू रेल रिन्यूअल (TRR) तथा 118.291 ट्रैक किलोमीटर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल (TSR) कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं।

ब्रिज कार्यों के अंतर्गत 15 पुलों का पुनर्वास, 5 पुलों का री-गर्डरिंग तथा 33 पुलों पर एप्रोच ट्रांजिशन कार्य किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 906 स्टील चैनल स्लीपरों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे पुलों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित हुई है।

स्टेशनों यार्ड सुधार कार्यों के अंतर्गत 9 यार्डों में 14 लेआउट का सुधार किया गया, 972 टर्नआउट का मानकीकरण किया गया तथा विभिन्न तकनीकी उन्नयन कार्य जैसे TWS और WCMSC का समावेशन किया गया। 68 यार्डों में PRL लाइनों का उन्नयन किया गया तथा 2472 स्थानों पर फ्री जॉइंट्स का उन्मूलन किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ऑस्सिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OMS) में 0.15g से अधिक मान में 93.25% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिससे ट्रैक की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

डेरोल स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (FOB) तैयार किया गया है तथा अन्य 8 स्टेशनों पर भी 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज (FOB) के विकास कार्य प्रगति पर हैं। मंडल ने 20 प्लेटफार्मों का विस्तार एवं उन्नयन, 13 स्टेशनों पर कोचिंग ऑपरेशन पैनल (COP) की सुविधा, 3 नए 06 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज FOB का निर्माण तथा 9 स्टेशनों पर कवर शेड का निर्माण किया है। इसके अलावा स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ी, लिफ्ट, रैंप, भूमिगत मार्ग आदि, 47 स्टेशनों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है और स्टाफ के लिए 104 नए रेलवे आवासों का निर्माण किया गया है।

इन सभी प्रयासों के माध्यम से वडोदरा मंडल ने रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करते हुए सुरक्षित, तेज एवं आरामदायक रेल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पश्चिम रेलवे भविष्य में भी इसी प्रकार की विकासात्मक पहलों के माध्यम से यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।

पश्चिम रेलवे चलाएगी हावड़ा के लिए चार वन-वे स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा के लिए भुज, साबरमती, वटवा एवं राजकोट से हावड़ा के के लिए चार वन वे स्पेशल ट्रेनें विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

1.ट्रेन संख्या 09401 भुज – हावड़ा वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09401 भुज–हावड़ा जंक्शन वन-वे स्पेशल दिनांक 30 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को भुज से 15:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 17:25 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में गांधीधाम, भचाऊ, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, शिवसागर रोड, भागलपुर, कहलगाँव, साहिबगंज, न्यू फरक्का, मालदा टाउन,आजीमगंज, कटवा,नवद्वीप धाम एवं बैंडेल स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर,द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे।

2. ट्रेन संख्या 09403 साबरमती – हावड़ा वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09403 साबरमती–हावड़ा जंक्शन वन-वे स्पेशल दिनांक 01 मई 2026 (शुक्रवार) को साबरमती से 18:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 16:15 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, शिवसागर रोड, भागलपुर, कहलगाँव, साहिबगंज, न्यू फरक्का, मालदा टाउन,आजीमगंज, कटवा,नवद्वीप धाम एवं बैंडेल स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर,द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे।

3. ट्रेन संख्या 09481 वटवा – हावड़ा वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09481 वटवा–हावड़ा वन-वे समर स्पेशल दिनांक 01 मई 2026 (शुक्रवार) को वटवा से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 10:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

यह ट्रेन छायापुरी, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, बिना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल तथा दुर्गापुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर,द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे।

4. ट्रेन संख्या 09501 राजकोट – हावड़ा वन-वे स्पेशल

ट्रेन संख्या 09501 राजकोट–हावड़ा जंक्शन वन-वे स्पेशल दिनांक 30 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को राजकोट से 17:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन 19:10 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में वांकानेर, सुरेंद्रनगर, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, इदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, अभयपुर, जमालपुर, शिवसागर रोड, भागलपुर, कहलगाँव, साहिबगंज, न्यू फरक्का, मालदा टाउन,आजीमगंज, कटवा,नवद्वीप धाम एवं बैंडेल स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर,द्वितीय श्रेणी चेयरकार तथा सामान्य श्रेणी कोच रहेंगे।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

निवेश की चमक ने बदली सोने की परंपरा: पहली बार गहनों से आगे निकली निवेश मांग

नई दिल्ली। भारत में सोने के प्रति पारंपरिक नजरिया अब तेजी से बदल रहा है। सदियों से जहां सोना मुख्यतः गहनों के रूप में खरीदा जाता रहा, वहीं अब यह निवेश का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सोने की निवेश मांग ने आभूषणों की खपत को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में कुल 151 मीट्रिक टन सोने की मांग दर्ज की गई, जिसमें निवेश का हिस्सा 54.3 प्रतिशत तक पहुंच गया।

इस तिमाही में निवेश के रूप में 86 मीट्रिक टन सोना खरीदा गया, जबकि गहनों के रूप में केवल 66 मीट्रिक टन की खपत हुई। यह बदलाव न केवल आंकड़ों का अंतर है, बल्कि यह भारतीय उपभोक्ताओं और निवेशकों की सोच में आए बड़े परिवर्तन का संकेत भी है। पहले जहां सोना सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं से जुड़ा था, वहीं अब यह आर्थिक सुरक्षा और निवेश रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से मार्च के बीच निवेश मांग 52 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि आभूषणों की मांग में 19.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह साफ दर्शाता है कि बाजार की परिस्थितियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक अब सुरक्षित विकल्पों की तलाश में हैं, और सोना इस भूमिका में सबसे भरोसेमंद साबित हो रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है, जिसने गहनों की खरीद को महंगा बना दिया है। वहीं दूसरी ओर, शेयर बाजार में सीमित रिटर्न और उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को अधिक स्थिर विकल्पों की ओर आकर्षित किया है। ऐसे में सोना एक "सेफ हेवन" यानी सुरक्षित निवेश के रूप में उभरा है, जहां जोखिम अपेक्षाकृत कम माना जाता है।

इस प्रवृत्ति को और मजबूत बनाने में गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड ईटीएफ में निवेश 186 प्रतिशत की छलांग लगाकर 20 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशक अब पारंपरिक सोने की खरीद के बजाय डिजिटल और वित्तीय माध्यमों के जरिए भी सोने में निवेश करना पसंद कर रहे हैं।

सचिन जैन ने इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब निवेश की मांग ने गहनों को पीछे छोड़ा है, और आने वाले समय में यह प्रवृत्ति और मजबूत हो सकती है। उनके अनुसार, अब केवल बड़े निवेशक ही नहीं, बल्कि खुदरा निवेशक भी सोने को अपने पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बना रहे हैं।

यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता व्यवहार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर यह निवेश के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह भी संकेत देता है कि लोग अब अपनी बचत को अधिक समझदारी और रणनीति के साथ उपयोग कर रहे हैं। पारंपरिक सोच से हटकर आधुनिक निवेश विकल्पों को अपनाना एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, इसका एक दूसरा पहलू भी है। गहनों की मांग में आई गिरावट का असर ज्वेलरी उद्योग पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। शादी-ब्याह और त्योहारों में सोने के गहनों की खरीद भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन बढ़ती कीमतों और बदलती प्राथमिकताओं के कारण इसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है।

कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि भारत में सोने की भूमिका अब केवल सजावट तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक मजबूत वित्तीय उपकरण के रूप में उभर चुका है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा और बदलता रुझान यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में सोने की मांग का यह नया पैटर्न और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। यह बदलाव न केवल बाजार के लिए, बल्कि देश की आर्थिक सोच के लिए भी एक नई दिशा तय कर रहा है।

दिन में छाया अंधेरा, आंधी-बारिश और ओलों से बदला मिजाजः तपती गर्मी के बीच यूपी को मिली राहत

नई दिल्ली। भारत में सोने के प्रति पारंपरिक नजरिया अब तेजी से बदल रहा है। सदियों से जहां सोना मुख्यतः गहनों के रूप में खरीदा जाता रहा, वहीं अब यह निवेश का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सोने की निवेश मांग ने आभूषणों की खपत को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में कुल 151 मीट्रिक टन सोने की मांग दर्ज की गई, जिसमें निवेश का हिस्सा 54.3 प्रतिशत तक पहुंच गया।

इस तिमाही में निवेश के रूप में 86 मीट्रिक टन सोना खरीदा गया, जबकि गहनों के रूप में केवल 66 मीट्रिक टन की खपत हुई। यह बदलाव न केवल आंकड़ों का अंतर है, बल्कि यह भारतीय उपभोक्ताओं और निवेशकों की सोच में आए बड़े परिवर्तन का संकेत भी है। पहले जहां सोना सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं से जुड़ा था, वहीं अब यह आर्थिक सुरक्षा और निवेश रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी से मार्च के बीच निवेश मांग 52 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि आभूषणों की मांग में 19.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह साफ दर्शाता है कि बाजार की परिस्थितियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशक अब सुरक्षित विकल्पों की तलाश में हैं, और सोना इस भूमिका में सबसे भरोसेमंद साबित हो रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी है, जिसने गहनों की खरीद को महंगा बना दिया है। वहीं दूसरी ओर, शेयर बाजार में सीमित रिटर्न और उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को अधिक स्थिर विकल्पों की ओर आकर्षित किया है। ऐसे में सोना एक "सेफ हेवन" यानी सुरक्षित निवेश के रूप में उभरा है, जहां जोखिम अपेक्षाकृत कम माना जाता है।

इस प्रवृत्ति को और मजबूत बनाने में गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। रिपोर्ट के अनुसार, गोल्ड ईटीएफ में निवेश 186 प्रतिशत की छलांग लगाकर 20 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि निवेशक अब पारंपरिक सोने की खरीद के बजाय डिजिटल और वित्तीय माध्यमों के जरिए भी सोने में निवेश करना पसंद कर रहे हैं।

सचिन जैन ने इस बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब निवेश की मांग ने गहनों को पीछे छोड़ा है, और आने वाले समय में यह प्रवृत्ति और मजबूत हो सकती है। उनके अनुसार, अब केवल बड़े निवेशक ही नहीं, बल्कि खुदरा निवेशक भी सोने को अपने पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बना रहे हैं।

यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता व्यवहार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर यह निवेश के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह भी संकेत देता है कि लोग अब अपनी बचत को अधिक समझदारी और रणनीति के साथ उपयोग कर रहे हैं। पारंपरिक सोच से हटकर आधुनिक निवेश विकल्पों को अपनाना एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, इसका एक दूसरा पहलू भी है। गहनों की मांग में आई गिरावट का असर ज्वेलरी उद्योग पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। शादी-ब्याह और त्योहारों में सोने के गहनों की खरीद भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन बढ़ती कीमतों और बदलती प्राथमिकताओं के कारण इसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है।

कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि भारत में सोने की भूमिका अब केवल सजावट तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक मजबूत वित्तीय उपकरण के रूप में उभर चुका है। निवेशकों का बढ़ता भरोसा और बदलता रुझान यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में सोने की मांग का यह नया पैटर्न और भी स्पष्ट रूप से सामने आएगा। यह बदलाव न केवल बाजार के लिए, बल्कि देश की आर्थिक सोच के लिए भी एक नई दिशा तय कर रहा है।

गंगा एक्सप्रेस-वे बना विकास की धड़कनः मेरठ से प्रयागराज तक हाई-स्पीड कॉरिडोर, अब हरिद्वार तक विस्तार की तैयारी

लखनऊ/हरदोई। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे अब औपचारिक रूप से देश को समर्पित हो गया है। नरेंद्र मोदी ने हरदोई से इसका लोकार्पण करते हुए इसे "नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की विकास रेखा" बताया और इसके मेरठ से आगे हरिद्वार तक विस्तार की घोषणा कर दी। इस परियोजना के साथ राज्य में पश्चिम से पूर्व और अब तराई तक हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होने जा रहा है, जो न केवल यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2021 में शिलान्यास के बाद पांच साल से कम समय में तैयार हुआ यह एक्सप्रेस-वे देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। यह कॉरिडोर मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सीधे संपर्क स्थापित करता है और 12 जिलों के 519 गांवों को जोड़ते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए नई संभावनाएं खोलता है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एक्सप्रेस-वे केवल सड़क नहीं, बल्कि विकास का इंजन है। इसके किनारे औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह परियोजना कृषि, उद्योग और व्यापार—तीनों क्षेत्रों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।

योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब पुराने ढर्रे से निकलकर आधुनिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां राज्य परिवारवाद, जातिवाद और असुरक्षा की समस्याओं से जूझ रहा था, वहीं आज यहां एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और औद्योगिक कॉरिडोर का जाल बिछ रहा है। यह बदलाव "डबल इंजन सरकार" की नीतियों और प्रतिबद्धता का परिणाम है।

गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण 36,230 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और इसके लिए 18 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई, जिसमें एक लाख से ज्यादा किसानों ने योगदान दिया। यह एक्सप्रेस-वे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है—हर 50 किलोमीटर पर फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे यह परियोजना भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बन सके।

इस एक्सप्रेस-वे की एक और खासियत शाहजहांपुर में बनाई गई 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थितियों और रक्षा जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। यह पहल इस परियोजना को रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा, यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य अब ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भूमिका बेहद अहम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी से उभर रहा है, और गंगा एक्सप्रेस-वे इस विकास को और गति देगा। मेरठ से हरिद्वार तक प्रस्तावित विस्तार इस परियोजना को और भी व्यापक बना देगा। इससे उत्तराखंड के साथ सीधा और तेज संपर्क स्थापित होगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और धार्मिक यात्राओं को भी बढ़ावा मिलेगा। यह विस्तार उत्तर भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क को और मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि विकास का एक नया अध्याय है। यह राज्य को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में यह कॉरिडोर न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।